

फद अहकाम

केलाश) चन्द बनाम सरकार

सप्टाब 05 अधिकारी जमवाला मगद, जयपुर

39/ 2020

# आक्रा या सर्ववाही	आक्रा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
<p>11/11/22</p>	<p style="text-align: center;"> पत्रावली पैरा नुं. अधिकाता सभ इत एपडोलेस / नुं. का अधिकार करने व- पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 14/11/22 </p> <p> पत्रावली पैरा नुं. वकील शर्मा कृपण पैरोकार सरकार ने पत्रावली पैरा क्लिप 11/11/22 शामिल क्लिप क्लिप जण। वकील शर्मा ने अपनी वकालत में जण जण से अंकित क्लिप को तैयार करते हुए विवेक क्लिप कि जण पत्र में वादग्रस्त शर्मा की क्लिप जे. डू नलन की जगह गत क्लिप अंजड वेड दर्ज कर राजस्व टिकट डुरवत क्लिप जाने के आदेश प्रदान करे। वकील शर्मा, पैरोकार सरकार की वकालत करने व पत्रावली का अपलोड क्लिप जण। पत्रावली का अपलोड करने पर पण कि पत्रावली में अंकित भारतीय शक्ति राजस्थान सरकार की अधिनियम की धारा 16 में प्रतिबन्धित शर्मा की शर्मा में आती है। अतः शर्मा का शर्मा पत्र आंशिक अस्वीकार क्लिप जाकर तहसीलदार जमवाला मगद को आदेशित क्लिप जाता है कि पत्रावली में अंकित शर्मा खान नम्बर 167 के संबंध में पत्रावली तैयार कर श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जयपुर को भिजवाये। पत्रावली केवल शर्मा होकर नम्बर ले कर हो। बाद पूर्ण होकर दाखिल कर हो। </p> <p style="text-align: right;"> 14/11/22 चिन्मल लाल शर्मा सपरान्त अधिकारी जमवाला मगद, जिला-जयपुर </p>	

सुप्री

सुप्री
ज।
हो।
र